

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/41
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00040

दिनांक: 07.02.2018

अपीलकर्ता : श्री राम कुमार सिसोदिया,
अध्यक्ष, युवा शक्ति मंच,
46, मलिकपुर, जी.टी.बी. नगर,
मॉडल टाउन फर्स्ट, दिल्ली - 110009.

निर्णय की तारीख: 07.02.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	05.12.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	-----
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	-----
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	30.01.2018

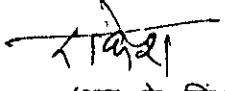
1. अपीलकर्ता ने दिनांक 05.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/OTDCM/A/2017/177164 के अनुपालन से संबंधित दिनांक 21.07.2017 को आयोग को लिखे पत्र पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचनाएं मांगी थी। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के साथ आर.टी.आई. आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए यह उल्लेख किया है कि उन्हें अभी तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा अनुरोध किया है कि उन्हें वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जाए।

2. प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न आर.टी.आई. आवेदन की जांच करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 05.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन को डाक अनुभाग द्वारा भूलवश लिंक डाक मानकर किसी अन्य रजिस्ट्री को अग्रसारित कर दिया गया, जबकि इसे आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को अग्रसारित किया जाना चाहिए था। अतः इस आदेश के साथ आर.टी.आई. आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता का उक्त आर.टी.आई. आवेदन को यथाशीघ्र पंजीकृत कर सूचना उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

3. तद्वसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

संलग्नक - यथोपरि।


(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली -
आर.टी.आई. आवेदन पर शीघ्र कार्यवाही की जाए।

